11. **परीक्षा की योजना:-**

i. प्रारंभिक लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम अनंतिम (provisional) होगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग(गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पद) की चयन परीक्षा को निम्न लिखित दो चरणो में संपन्न कराया जावेगा:-

क- प्रथम चरण - प्रारम्भिक लिखित परीक्षा **(परिशिष्ट एक)**- कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल व्दारा आयोजित की जाएगी।

ख- द्वितीय चरण -

क. मुख्य लिखित परीक्षा **(परिशिष्ट दो)** - कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल व्दारा आयोजित की जाएगी।

ख. शारीरिक दक्षता परीक्षण **(परिशिष्ट तीन)**

ग. साक्षात्कार

ii. गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पद हेतु विज्ञापित पदों की संख्या से पृथक-पृथक दस गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कटऑफ Percentile के बराबर Percentile प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा भले ही कुछ संख्या विज्ञापित रिक्तियों की दस गुना से अधिक हो।

iii. गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पद हेतु मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये विज्ञापित पदों की संख्या से पृथक-पृथक तीन गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में कटऑफ के बराबर Percentile प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की तीन गुना से अधिक हो। बुलाये गये उम्मीदवारों का निम्न चरण में परीक्षण किया जावेगा :-

क- शारीरिक दक्षता परीक्षण (800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लम्बी कूद)।

ख- समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण।

iv. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षण से छूट नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए जो तिथि सूचित की जायेगी, उस तिथि में कोई

परिवर्तन नहीं किया जावेगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण में तिथि परिवर्तन के लिए अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

12. **बोनस अंक** :- सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन आदेश क्र सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 22 फ़रवरी 2022 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2022 एवं क्रमांक सी-3-9/2019/1/3/भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023 के अनुसार प्राप्तांकों के 5% अंक, अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाएँगे. यह लाभ केवल प्रथम चरण प्रारम्भिक परीक्षा के लिए लागू होगा.
13. **म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अंकों की समस्त गणना की जाएगी।**
14. **प्रमाण पत्रों की जाँच, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार-:**
    i. द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच गठित समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सम्पन्न की जावेगी।
    ii. निर्धारित समस्त **अर्हताएं/प्रमाण पत्र,** दस्तावेज़ आवेदन की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये।
    iii. आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज(डाक्यूमेट) और उनकी प्रतियाँ लेकर आएँगे एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे :-
    क. जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल या इटरमीडियेट (10+2) की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,
    ख. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
    ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में, मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये, प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
    घ. स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की कम से कम तीन वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने का प्रमाण पत्र,
    ङ. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सेना की सेवा का प्रमाण पत्र,
    च. पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
    छ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
    ज. ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
    झ. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
    ञ. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,
    ट. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों एवं आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों हेतु मध्य प्रदेश का अधिवासी प्रमाण पत्र.
    ठ. यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फ़ोटो कॉपी साथ में लेकर आएँ और प्रस्तुत करें.
    ड. उभयलिंग व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र। (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र के अनुसार पुरूष/महिला के लिए विहित मानक लागू होंगे)
    iv. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे. अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा. इस नियम पुस्तिका में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा.
    v. मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी.

vi. **यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह मुख्य लिखित परीक्षा में सफल रहा हो.** यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनो परीक्षणो में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा।

vii. शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र प्रारूप इस नियमपुस्तिका के साथ संलग्न किये गये हैं।

15. साक्षात्कार :-

द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं और जिनके दस्तावेज़ परीक्षण में अर्हताएँ पूर्ण हैं, का व्यक्तित्व साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जाएगा। व्यक्तित्व साक्षात्कार 50 अंकों का होगा.".

16. यात्रा किराया:-

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण/साक्षात्कार के लिये मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

17. चयन सूची:-

1. <u>प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची :-</u>

i. प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए Percentile के आधार पर गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पदों हेतु पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से दस गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा, अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), द्वितीय चरण की मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अनारक्षित महिलाओं एवं पुरुषों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी शामिल होंगे।

चूँकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों- गैर तकनीकी एवं तकनीकी के लिए अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए तकनीकी पदों की सूची के लिए भी पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे, परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु दस गुना संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ़ Percentile अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ़ Percentile से सदैव कम होंगे.

ii. अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक दस गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर Percentile अभिप्राप्त किए हो, नियत की दस गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा. प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ़ Percentile केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी – UR/OBC/ST/SC/EWS के लिए जारी किए जाएँगे. हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ़ Percentile नहीं होंगे.

2) <u>मुख्य लिखित परीक्षा से शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची:-</u>

i. द्वितीय चरण की मुख्य लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए Percentile के आधार पर गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पदों हेतु पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा, अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC), अनुसूचित जन-जाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. अनारक्षित महिलाओं एवं पुरूषों में अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)अनुसूचित जन-जाति(ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी शामिल होंगे.

चूँकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों- गैर तकनीकी एवं तकनीकी के लिए अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए तकनीकी पदों की सूची के लिए भी

पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे, परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु तीन गुना संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ Percentile अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ Percentile से सदैव कम होंगे।

ii. अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक तीन गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर Percentile अभिप्रापत किए हो, नियत की तीन गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इस चरण में प्रत्येक वर्टिकल और उनकी सम्बंधित हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक कट-ऑफ Percentile होंगे.

18. अंतिम परीक्षा परिणाम :-

i. गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पदों की सीधी भर्ती के लिए अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर पृथक-पृथक सूची तैयार की जाएगी। सामान्य श्रेणी (UR), महिला और पुरुष उम्मीदवारों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार शामिल होंगे।

परंतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंनें शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक (गैर तकनीकी -30 अंक, तकनीकी - 20 अंक) प्राप्त किए हों.''

ii. शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा भले ही वह द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो।

iii. सर्वप्रथम प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये A-सूची बनायी जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.) के वे उम्मीदवार शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वह उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ Percentile से अधिक Percentile पाता है।

iv. अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी में ओपन प्रकोष्ठ भरने के बाद, इस वर्टिकल श्रेणी की होरीजोन्टल श्रेणियों यथा महिलाओं, पुलिस कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। इन हॉरीजोन्टल श्रेणियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये होरीजोन्टल आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएँगें। चयन सूची में यदि पहले से अनारक्षित श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ अभ्यर्थियों में जितने पुलिस कर्मचारी मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो उन उम्मीदवारों के अतिरिक्त बच रहे उम्मीदवारों से होरीजोन्टल आरक्षित पदों के लिए चयन किया जाएगा.

v. त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में अनारक्षित महिलाओं, अनारक्षित पुलिस कर्मचारी एवं अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों की हॉरिजॉटल श्रेणी के कट-ऑफ अंक किसी भी आरक्षित श्रेणी की महिलाओं, पुलिस आरक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से सदैव अधिक होंगे,

vi. अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी के पद भरे जाने के बाद शेष रहे उम्मीदवारों में से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के शेष रहे सभी उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल आरक्षित श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों की लिए पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेंगी. इन श्रेणियों के ओपन प्रकोष्ठ में वे अभ्यर्थी चयनित किये जाएँगे जिन्होंने कि किसी शारीरिक दक्षता परीक्षण के शिथिल मापदण्ड का लाभ नहीं लिया है।

vii. ये सूचियां बनाने के बाद सम्बंधित आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /ई.डब्ल्यू.एस. में महिलाओं, पुलिस कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरिजोंटल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर हॉरिजोंटल श्रेणियों के लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद सम्बंधित आरक्षित श्रेणी के शेष रहे ओपन प्रकोष्ठ के अभ्यर्थियों से भरे जाएँगे. चयन सूची में यदि पहले

से अनारक्षित श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ अभ्यर्थियों में जितने पुलिस कर्मचारी मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो उन उम्मीदवारों के अतिरिक्त शेष बच रहे उम्मीदवारों से होरीजोन्टल आरक्षित पदों के लिए चयन किया जाएगा.

viii. अभ्यर्थी को उसके व्दारा आवेदन में भरी गई पद प्रथामिकता अनुसार एक ही पद के लिए अंतिम चयन किया जावेगा।

ix. समान Percentile प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान Percentile प्राप्त करने वाले जिन उम्मीदवारों की आयु अधिक होगी वही मेरिट क्रम में समान Percentile प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा।

19. नियुक्ति के पूर्व किये जाने वाले परीक्षण :-

स्वास्थ्य मापदण्डों का निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड व्दारा किया जाएगा :-

i. अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होना चाहिए:-

  i. ऊँचाई:

    (1) पुरूष - 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक

    (2) महिला - 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

  ii. सीने का फुलाव (केवल पुरूषों के लिए) – सीना बिना फुलाये कम से कम 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर कम से कम 86 सेंटीमीटर. अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। सीने का माप यदि न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेमी फुलाना अनिवार्य होगा.

ii. दृष्टि: अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग/विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्में के दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए. अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए जिसका इशिहारा (**Ishihara Plate)** प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो.

iii. नॉक-नी तथा फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए.

iv. अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग व्दारा मेडिकल परीक्षण के संबंध में जिला, संभाग एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराये जाने का क्रम निर्धारित है. स्वास्थ्य परीक्षण में पुलिस सेवा हेतु अयोग्य घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी यदि असंतुष्ट रहता है, तो संबंधित इकाई में संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने का आवेदन करने पर सम्भागीय मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाएगा। जिला एवं संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड के अभिमत में भिन्निता होने पर केवल विभाग राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण कराएगा। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के समय आवश्यक रूप से एक नामांकित राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा. स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.

नोट:- Colour Blindness के लिए जिला एवं संभाग मेडिकल बोर्ड से इशिहारा (**Ishihara Plates)** व्दारा एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से **Anomaloscope Test** लिया जाएगा।

v. अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

vi. न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें. निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

vii. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी. अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा. उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा.

viii. उभयलिंग व्यक्ति हेतु शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण - उभयलिंगी व्यक्ति को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र के अनुसार पुरूष/महिला के लिए विहित मानक लागू होंगे।

20. चरित्र सत्यापन-:

i. गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-17-01/2017/दो/सी-2 दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर चरित्र सत्यापन किया जाएगा.

ii. यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह नियुक्ति के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नही दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा. चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में नियुक्ति के अयोग्य घोषित किये जाने पर नियुक्ति की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

21. नियुक्तिः-

(1) उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी.

i. मेरिट, अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार उन्हें पद-संवर्ग एवं आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जाएँगी.

ii. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा.

iii. नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्ष की सेवा के बाद ही भर्ती किए गए सूबेदार एवं उप निरीक्षक पदोन्नति के लिए पात्र हो सकेंगे.

iv. चयनित अभ्यर्थियों को गृह ज़िले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी.

v. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

vi. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय होगा. दिये गये समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी। म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्र. एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

vii. जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी.

viii. निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है. प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

ix. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अंतर्गत राज्य के अंदर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा. राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे- राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(EOW), विशेष पुलिस स्थापना(लोकायुक्त) अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है.

(2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा. केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी.

(3) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी स्थापना से सम्बन्धित प्रकरण जैसे पारस्परिक वरीयता, स्थायीकरण, वेतन वृद्धियां आदि **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961** के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर बनाये गये विभिन्न नियमों के अनुसार निर्धारित की जावेंगी.

22. प्रशिक्षण:-

i. नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा. प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी. चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व निर्धारित किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा. अभ्यर्थी यदि नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा. इस संबंध में मेडिकल प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा.

ii. प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा. प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा. अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा. उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा.

iii. निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है.

iv. इस चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपसी सहवरिष्ठता (पारस्परिक ज्येष्ठता) चयन परीक्षा में प्राप्त अंको के 50 प्रतिशत अनुपात एवं बुनियादी प्रशिक्षण की मुख्य परीक्षा में अर्जित अंको के 50 प्रतिशत अनुपात से प्राप्त सकल अंको के आधार पर नियत की जाएगी. यदि दो या दो से अधिक परिवीक्षार्थी सकल अंको में समान अंक प्राप्त करते है तो उनकी प्रवीण्यता उनकी आयु के क्रम से विनिश्चत की जावेगी.

परंतु कोई परीवीक्षाधीन जो बीमारी या किसी अन्य कारण से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है या किसी विषय/विषयों या प्रश्न-पत्र/प्रश्न पत्रों आदि के लिये विहित किये गये न्यूनतम अंक अर्जित करने में असफल रहता है तथा पश्चात्वर्ती रूप से परीक्षांए उत्तीर्ण कर लेता है तो उस परीवीक्षाधीन को ऐसी परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्रदान किये गये अंको की गणना उसकी ज्येष्ठता निर्धारित करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा.

23. सामान्य निर्देश :-

यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी.

i. चयन सूची के जारी होने से पहले या बाद में किसी स्तर पर, यदि चयन एवं भर्ती शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि आती है तो चयन एवं भर्ती शाखा को उसे सुधारने का अधिकार होगा.

ii. पुनर्विलोकन पर विज्ञापित पदों की संख्या, किन्तु लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले, पुलिस मुख्यालय द्वारा बदली जा सकती है, परिवर्तन की स्थिति में न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले से भरे हुये आवेदनों में संशोधन मांगा जायेगा.

iii. यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी / चयन रद्द किया जा सकता है.

iv. चयन परीक्षा का सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद नष्ट कर दिया जावेगा। केवल वही रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावेगा, जिसकी कोई जाँच चल रहीं हो अथवा प्रस्तावित हो।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

1. प्रथम चरण - प्रारंभिक लिखित परीक्षा:-

(क) प्रारंभिक परीक्षा, प्रथम चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे. प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी. प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी. निम्नलिखित विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे:

- (एक) हिंदी भाषायी बोध;
- (दो) अंग्रेजी भाषायी बोध;
- (तीन) विश्लेषणात्मक क्षमता;
- (चार) इतिहास;
- (पाँच) भूगोल;
- (छः) विज्ञान;
- (सात) नागरिक शास्त्र;
- (आठ) बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान;
- (नौ) तर्कशक्ति;
- (दस) करेंट अफ़ेयर्स

प्रारंभिक परीक्षा- गैर-तकनीकी एवं तकीनीकी पद के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है।

प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर-तकनीकी एवं तकीनीकी पदों के लिए पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, जिसमें वर्टिकल आरक्षण श्रेणी अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से दस गुना अधिक-अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

चूँकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों- गैर तकनीकी एवं तकनीकी के लिए अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए तकनीकी पदों की सूची के लिए भी पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे, परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु दस गुना संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ़ अंक से सदैव कम होंगे.

अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक दस गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभिप्राप्त किए हो, नियत की दस गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा.

प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ़ अंक गैर-तकनीकी एवं तकीनीकी पदों के लिए केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी UR/OBC/ST/SC/EWS के लिए जारी किए जाएँगे। हॉरिज़ॉटल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ़ अंक नहीं होंगे.

द्वितीय चरण –मुख्य परीक्षा

(क) गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पदों के लिये अनिवार्य -

प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद :-

(एक) मुख्य परीक्षा दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी (जैसा कि अनुसूची चार क में विनिर्दिष्ट है);

(दो) प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा जिसकी अवधि दो घंटे की होगी.

(ख) केवल तकनीकी पदों के लिए –

प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद, अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ-साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी:-

(एक) तकनीकी परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की परीक्षा होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी;

(दो) जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक(अंगुली चिन्ह/क्यू.डी./फोटो) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और गणित, भौतिकी एवं रसायन विषयों में पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा।

(तीन) जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक(आयुध) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया है उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पर आधारित होगी।.

(ग) द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

मुख्य परीक्षा

1. गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पदों हेतु अनिवार्य:-

(i). प्रश्न पत्र योजना

प्रश्न पत्र प्रथम -

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक: 300

खण्ड : दो

प्रत्येक खण्ड (150 अंक प्रत्येक) के लिए :

i. प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.

ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.

iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

प्रश्न पत्र द्वितीय -

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक : 300

खण्ड : दो

खण्ड 'क': (150 अंक) के लिए :

i. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.

ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.

iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

खण्ड 'ख': (150 अंक) के लिए :

i. तर्कशक्ति और डाटा निर्वचन
ii. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे.
iii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.
iv. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।
v. कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी.

(ii). पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र - I सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग "क"

इतिहास और भारतीय समाज (150 अंक)

i. भारतीय इतिहास – हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यक़ालीन भारत की भक्ति-सूफ़ी परम्पराएँ, विजयनगर साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण.
ii. स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन.
iii. भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता.
iv. भारत एवं मध्यप्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्यप्रदेश की जनजातियों के साथ.
v. महिलाओं और महिला के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार.
vi. भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव.

भाग "ख"

शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान (150 अंक)

i. भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना.
ii. संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तर्कशक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां.
iii. विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथककरण विवाद, निवारण तंत्र और संस्थानों के बीच होता है.
iv. संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे.
v. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज-सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका.
vi. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिये गठित तंत्र, कानून, संस्थान एवं निकाय.
vii. गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे.

प्रश्नपत्र - II सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग "क"

करेंट अफ़ेयर्स (current affairs), प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा (150 अंक)

i. करेंट अफ़ेयर्स.
ii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव.
iii. सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बॉयो-टेक्नोलॉजी, ऑर्टिफ़िशल इंटेलिजेन्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता.
iv. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आंकलन.
v. भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय.
vi. नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, आंतरिक्ष जीआईएस, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग.
vii. परम्परागत और गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन, नवकरणीय ऊर्जा.
viii. लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका.
ix. विकास और उग्रवाद के बीच संबंध.
x. आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्यराजकीय एवं ग़ैरराजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका.
xi. संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना.
xii. बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे.
xiii. संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध.

भाग "ख"

तर्क एवं अंकों की व्याख्या (150 अंक)

i. आधार संख्यायें और सांख्यिकी (अंक और उनके संबंध), प्रायिकता.
ii. आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्तता आदि). माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन.
iii. अनुपात और समानुपात, इकाई विधि.
iv. लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज.
v. क्षेत्रविधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन
vi. तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान

2. <u>तकनीकी पद केवल समूह-1 के लिए अनिवार्य:-</u>

प्रश्न पत्र योजना - प्रश्न पत्र तृतीय

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक: 300

i. 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.
ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.
iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

पाठ्यक्रम- उप निरीक्षक (आयुध) के पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर आधारित प्रश्न पत्र होगा।

3. <u>तकनीकी पद केवल समूह-2 के लिए अनिवार्य:-</u>

प्रश्न पत्र योजना- प्रश्न पत्र तृतीय

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक: 300

i. 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.
ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.
iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

पाठ्यक्रम- उप निरीक्षक(अंगुली चिन्ह/क्यू.डी./फोटो) के पदों के लिए गणित, भौतिकी एवं रसायन विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार

i. द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर-तकनीकी एवं तकनीकी पदों के लिए पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.

चूँकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों- गैर तकनीकी एवं तकनीकी के लिए अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए तकनीकी पदों की सूची के लिए भी पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे, परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु तीन गुना संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ़ अंक अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ़ अंक से सदैव कम होंगे.

ii. अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक तीन गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने ने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभिप्राप्त किए हो नियत की, तीन गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इस चरण में प्रत्येक वर्टिकल और उनकी सम्बंधित हॉरिज़ॉटल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ अंक होंगे.

शारीरिक दक्षता परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है. यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित विधायें सम्मिलित होंगी-

(क) 800 मीटर दौड़	- अधिकतम 40 अंक (एक अवसर)
(ख) लंबी कूद	- अधिकतम 30 अंक (तीन अवसर)
(ग) गोला फेंक	- अधिकतम 30 अंक (तीन अवसर)

द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक (गैर-तकनीकी - 30 अंक, तकनीकी - 20 अंक) अभिप्राप्त किए हैं और जिनके दस्तावेज़ परीक्षण में अर्हताएँ पूर्ण की हैं, का समिति द्वारा 50 अंकों व्यक्तित्व साक्षात्कार लिया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षण – PPT (अंकों का वितरण)

क. मानक मापदंड : ग़ैर तकनीकी पद

i. पुरुष –

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #* (मीटर)
0	198.3 से अधिक	2.96 से कम	3.83 से कम
1	198.3	2.96	3.83
2	196.4	3.05	4.00
3	194.5	3.14	4.17
4	192.6	3.23	4.34
5	190.7	3.32	4.51
6	188.8	3.41	4.68
7	186.9	3.50	4.85
8	185.0	3.59	5.02
9	183.1	3.68	5.19
10	181.2	3.77	5.36
11	179.3	3.86	5.53
12	177.4	3.95	5.70
13	175.5	4.04	5.87
14	173.6	4.13	6.04
15	171.7	4.22	6.21
16	169.8	4.31	6.38
17	167.9	4.40	6.55
18	166.0	4.49	6.72
19	164.1	4.58	6.89
20	162.2	4.67	7.06
21	160.3	4.76	7.23
22	158.4	4.85	7.40
23	156.5	4.94	7.57
24	154.6	5.03	7.74
25	152.7	5.12	7.91
26	150.8	5.21	8.08
27	148.9	5.30	8.25
28	147.0	5.39	8.42
29	145.1	5.48	8.59
30	143.2	5.57	8.76
31	141.3	5.57 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	8.76 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	139.4		
33	137.5		
34	135.6		

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #* (मीटर)
35	133.7		
36	131.8		
37	129.9		
38	128.0		
39	126.1		
40	124.2		
अधिकतम अंक 40	124.2 से कम		

* वजन 7.26 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

ii. महिला –

अंक (महिलाएँ)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #* (मीटर)
0	261.8 से अधिक	2.04 से कम	2.85 से कम
1	261.8	2.04	2.85
2	259.6	2.12	3.00
3	257.4	2.20	3.15
4	255.2	2.28	3.30
5	253.0	2.36	3.45
6	250.8	2.44	3.60
7	248.6	2.52	3.75
8	246.4	2.60	3.90
9	244.2	2.68	4.05
10	242.0	2.76	4.20
11	239.8	2.84	4.35
12	237.6	2.92	4.50
13	235.4	3.00	4.65
14	233.2	3.08	4.80
15	231.0	3.16	4.95
16	228.8	3.24	5.10
17	226.6	3.32	5.25
18	224.4	3.40	5.40
19	222.2	3.48	5.55
20	220.0	3.56	5.70
21	217.8	3.64	5.85
22	215.6	3.72	6.00
23	213.4	3.80	6.15
24	211.2	3.88	6.30
25	209.0	3.96	6.45
26	206.8	4.04	6.60

अंक (महिलाएँ)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #* (मीटर)
27	204.6	4.12	6.75
28	202.4	4.20	6.90
29	200.2	4.28	7.05
30	198.0	4.36	7.20
31	195.8	4.36 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	7.20 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	193.6		
33	191.4		
34	189.2		
35	187.0		
36	184.8		
37	182.6		
38	180.4		
39	178.2		
40	176.0		
अधिकतम अंक 40	176.0 से कम		

* वजन 4.00 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

टीप- उभयलिंगी व्यक्ति हेतु शारीरिक मापदण्ड परीक्षण-उभयलिंग व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र के अनुसार पुरूष/महिला के लिये विहित मानक लागू होंगे।

ख. शिथिल माप दंडों के साथ भूतपूर्व सैनिक तथा तकनीकी पद – आयुध/फोटो/क्यू.डी./अंगुल चिन्ह

i. पुरुष –

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #* (मीटर)
0	224.5 से अधिक	2.23 से कम	3.51 से कम
1	224.5	2.23	3.51
2	222.5	2.32	3.69
3	220.5	2.41	3.87
4	218.5	2.50	4.05
5	216.5	2.59	4.23
6	214.5	2.68	4.41
7	212.5	2.77	4.59
8	210.5	2.86	4.77
9	208.5	2.95	4.95
10	206.5	3.04	5.13
11	204.5	3.13	5.31
12	202.5	3.22	5.49
13	200.5	3.31	5.67
14	198.5	3.40	5.85

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #* (मीटर)
15	196.5	3.49	6.03
16	194.5	3.58	6.21
17	192.5	3.67	6.39
18	190.5	3.76	6.57
19	188.5	3.85	6.75
20	186.6	3.94	6.93
21	184.6	4.03	7.11
22	182.6	4.12	7.29
23	180.6	4.21	7.47
24	178.6	4.30	7.65
25	176.6	4.39	7.83
26	174.6	4.48	8.01
27	172.6	4.57	8.19
28	170.6	4.66	8.37
29	168.6	4.75	8.55
30	166.6	4.84	8.73
31	164.6	4.84 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	8.73 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	162.6		
33	160.6		
34	158.6		
35	156.6		
36	154.6		
37	152.6		
38	150.6		
39	148.6		
40	146.6		
अधिकतम अंक 40	146.6 से कम		

* वजन 7.26 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

ii. महिलाएँ-

अंक (महिलाएँ)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक* (मीटर)
0	305.8 से अधिक	1.50 से कम	2.70 से कम
1	305.8	1.50	2.70
2	303.6	1.58	2.85
3	301.4	1.66	3.00
4	299.2	1.74	3.15
5	297.0	1.82	3.30
6	294.8	1.90	3.45
7	292.6	1.98	3.60

अंक (महिलाएँ)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक* (मीटर)
8	290.4	2.06	3.75
9	288.2	2.14	3.90
10	286.0	2.22	4.05
11	283.8	2.30	4.20
12	281.6	2.38	4.35
13	279.4	2.46	4.50
14	277.2	2.54	4.65
15	275.0	2.62	4.80
16	272.8	2.70	4.95
17	270.6	2.78	5.10
18	268.4	2.86	5.25
19	266.2	2.94	5.40
20	264.0	3.02	5.55
21	261.8	3.10	5.70
22	259.6	3.18	5.85
23	257.4	3.26	6.00
24	255.2	3.34	6.15
25	253.0	3.42	6.30
26	250.8	3.50	6.45
27	248.6	3.58	6.60
28	246.4	3.66	6.75
29	244.2	3.74	6.90
30	242.0	3.82	7.05
31	239.8	3.67 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	7.05 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	237.6		
33	235.4		
34	233.2		
35	231.0		
36	228.8		
37	226.6		
38	224.4		
39	222.2		
40	220.0		
अधिकतम अंक 40	220.0 से कम		

* वजन 4.00 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

टीप- उभयलिंगी व्यक्ति हेतु शारीरिक मापदण्ड परीक्षण-उभयलिंग व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र के अनुसार पुरूष/महिला के लिये विहित मानक लागू होंगे।

नोटः- शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी. अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा. उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा.